123
12.10

संख्याः– /XXVII(1)/2017

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत–बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 06 अक्टूबर, 2017

विषयः– **चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिए गये निर्णयानुसार के अनुसार गैर निर्वाचित निकायों को चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 की द्वितीय छमाही किश्त का संकमण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के क्रम में सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार प्रदेश की निम्न 03 गैरनिर्वाचित नगर पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2017–18 की द्वितीय छमाही किश्त हेतु **₹1,00,00,000.00 (₹एक करोड़ मात्र)** की धनराशि संकमित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(धनराशि हजार में)

क्र0 सं0	नगर पंचायत का नाम	प्रथम छमाही हेतु संकमित धनराशि	अलोटमेन्ट आई.न.
1–	बद्रीनाथ	5000	**H1710070270**
2–	केदारनाथ	2500	H1710070271
3–	गंगोत्री	2500	H1710070272
	योगः–	**10000**	

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन संकमित की जा रही हैः–

1. संकमित धनराशि का उपयोग शासनादेश सं0–316/XXVII(1)/ 2017, दिनांकः 31 मार्च, 2017 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत किया जायेगा। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/ समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।
2. आयोग की संस्तुतियों के क्रम में शहरी स्थानीय निकायों को संकमित की जा रही धनराशि का उपयोग सर्वप्रथम निकायों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत समस्त प्रकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि, पथ प्रकाश व जल संस्थान के देयकों एवं सेवा निवृत्त कर्मचारियों के दावों के भुगतान करने के उपरान्त यदि धनराशि शेष रहती है तो अवशेष धनराशि से केवल सफाई व स्वच्छता सम्बन्धी वाहन यथाः कूड़ा वाहन, डम्पर, टिप्पर, जे. सी.बी. कम्पेक्टर वाहन क्रय किये जा सकते हैं परन्तु स्वच्छता से इतर अन्य वाहन जैसेः–जीप और स्टाफ कार कदापि क्रय नहीं किये जायेंगे। यह धनराशि बचनबद्ध मदों में व्यय की जायेगी।
3. संकमित धनराशि से वाहन आदि क्रय नहीं किया जायेगा। यदि कार्यहित में कोई वाहन क्रय करना आवश्यक हो तो इस सम्बन्ध में शासन स्तर की अनुमति आवश्यक होगी। धनराशि बचनबद्ध मदों में व्यय की जायेगी।
4. संकमित की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
5. आयोग द्वारा किसी भी शहरी स्थानीय निकाय को तब तक कोई धनराशि अन्तरित नहीं किये जाने की संस्तुति की है, जब तक निदेशक, लेखा परीक्षा या उसके द्वारा नामित किसी अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित न कर दिया जाय कि पेंशन निधि हेतु अंशदान तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के दावों का भुगतान निकाय द्वारा कर दिया गया है। द्वितीय वर्ष

अर्थात वर्ष 2018–19 की द्वितीय किश्त तब तक अवमुक्त नहीं की जायेगी जब तक निदेशक, लेखा परीक्षा से पिछले वर्ष के लिये प्रमाण–पत्र प्राप्त न कर लिया जाय।

6. शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/ वित्त नियंत्रक / वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगें। यदि निर्धारित शर्तो में कोई विचलन हो तो वित्त नियंत्रक/ विभागीय अधिकारी इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल वित्त विभाग को दी जायेगी। वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना कोई विचलन मान्य नहीं होगा। इस धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र सम्बन्धित निकायों, के अध्यक्ष से प्रतिहस्ताक्षरित करा कर वित्त आयोग निदेशालय, कमरा न0–223, द्वितीय तल, विश्वकर्मा भवन, सचिवालय, देहरादून को कार्यो के विवरण के साथ उपलब्ध कराया जायेगा तदोपरान्त ही अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।
7. निदेशक, शहरी विकास विभाग निकायों को अंतरित धनराशि के समय से उपयोग हेतु उत्तरदायी होंगे।
8. नगर विकास विभाग अंतरित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होगे। कोषागार से आहरित धनराशि की बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।
9. सम्बन्धित निकाय की अलोटमेन्ट आईडी संलग्न है।

3– इस सम्बंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–01–नगरीय स्थानीय निकाय–193–नगर पंचायतें/नोटिफाइड एरिया/कमेटी आदि–00–04–राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः–1007 (1)/XXVII(1)/2017 एवं तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमॉऊ, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, शहरी विकास विभाग, 43/6, माता मन्दिर मार्ग, धर्मपुर, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी, चमोली,रूद्रप्रयाग।
6. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें,देहरादून।
8. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग।
9. विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/ वरिष्ठ लेखाधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो।
10. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
11. शहरी विकास अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
12. एन0आई0सी0, सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

बिभागाध्यक्ष का नाम - Secretary Finance
बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 2017-2018

अनुदान शंख्या - 007 (वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें)

लेखाशीर्षक- 3604 - स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन
01 - नगरीय स्थानीय निकाय
193 - नगर पंचायतें/नोटीफाइड एरिया/कमेटी आदि
04 - राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान
00 - राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान

NonPlan Voted

S.No	Treasury	DDO Name	Allotment Id	Allotment Date	Previous Allotment	Current Allotment	Name of local bodies
1	4000-Chamoli (Gopeswar)	4183-District Magistrate (For Grants)Chamoli	H1710070270	06-OCT-2017	5000000	5000000	
2	4100-Uttarkashi	4183-District Magistrate (For Grants)Uttarkashi	H1710070271	06-OCT-2017	2500000	2500000	
3	9000-Rudraprayag	4183-District Magistrate (For Grants)Rudraprayag	H1710070272	06-OCT-2017	2500000	2500000	
		Total :			**10000000**	**10000000**	

(अमित सिंह नेगी)
सचिव,